



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072024-255761
CG-DL-E-26072024-255761

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2834]
No. 2834]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

का.आ. 2975(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2024 है।
- यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 में, सारणी के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु उर्वरकों के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाने पर इस आदेश की कोई बात ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड को लागू नहीं होगी।"

[फा. सं. सी-II-18012/12/2023-रसा.-II]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 2335(अ) द्वारा तारीख 15 जून, 2021 को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्याक का.आ. 4914(अ), तारीख 29 नवंबर, 2021, का.आ. 2225(अ), तारीख 13 मई, 2022 और का.आ. 1709(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 26th July, 2024

S.O. 2975(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Ortho Phosphoric Acid (Quality Control) Order, 2021, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Ortho Phosphoric Acid (Quality Control) Second Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Ortho Phosphoric Acid (Quality Control) Order, 2021, after the table, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that, nothing in this Order shall apply to the Ortho Phosphoric Acid when used as raw material in production of fertilizers.”

[F. No. C.II-18012/12/2023- Chem.II]

Deepankar Aron, Jt. Secy.

Note: The Ortho Phosphoric Acid (Quality Control) Order, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2335(E), dated the 15th June, 2021 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 4914(E), dated the 29th November, 2021, S.O. 2225(E), dated the 13th May, 2022 and S.O. 1709(E), dated the 13th April, 2024.